न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2152 सन 2026
CNR No. UPSP 01005671 2026

कैफितुल्ला उर्फ काबातुल्ला पुत्र अब्दुल माजिद उर्फ हासू उर्फ हालू, निवासी मौहल्ला कुडावरा, थाना हसरता, जिला मुन्डू म्यांमार। हाल पता मुनीर का मकान, सकूरी मस्जिद के सामने, एकता कालोनी, थाना मण्डी, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य । **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0 224/2023
धारा–14 विदेशी अधिनियम
थाना–मण्डी सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

17.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **कैफितुल्ला उर्फ काबातुल्ला** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 24.07.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमती फरमानी पत्नी नईम का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है, प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 11.01.2024 को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–11 सहारनपुर के न्यायालय से निरस्त हो चुका है। वर्तमान में उक्त के अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि काफी समय से एटीएस उ0प्र0 को भरतीय सीमा में अवैध रूप से रोहिंग्या नागरिक प्रवेश कर उ0प्र0के विभिन्न जनपदो में निवास करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। ए0टी0एस0 उ0प्र0 द्वारा जनपद सहारनपुर के कमेला कालोनी में कई रोहिंग्या परिवार निवास करने की प्राप्त करायी गयी सूचना के आधार पर दिनांक 24.07.2023 को प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार उज्जवल मय हमराह गश्त करते हुए हलवाईयान मस्जिद के पास पहॅुचे तो वहॉ मौजूद दो व्यक्ति पुलिस को देखकर इधर उधर भागने लगे। पुलिस कर्मियो द्वारा उक्त दोनो व्यक्तियो को घेर कर पकड लिया गया तथा नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी। पूछताछ में उक्त दोनो व्यक्तियो ने स्वॅय को रोहिंग्या होना तथा भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करना बताया। पकडे गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम अनवर सादिक बताया जिसकी जामा तलाशी पहने लोअर की जेब से एक मोबाईल फोन बरामद हुआ। पकडे गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कैफितुल्ला बताया, इसकी जामा तलाशी में पहने कुर्ते की दाहिनी जेब से एक मोबाईल सैमसंग बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह रोहिंग्या जाति से है। उक्त दोनो व्यक्तियो से भारतीय सीमा में प्रवेश के सम्बन्ध में वैध प्रपत्र पासपोर्ट वीजाआदि मांगा गया तो नहीं दिखा सके। उक्त सन्दर्भ में मौके पर फर्द तैयार कर अभियुक्तगण को थाना लाया गया।

मौके पर तैयार उक्त फर्द के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण अनवर सादिक व कैफितुल्ल के विरूद्ध धारा–14 विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिकथनो का समर्थन करते हुए यह बहस की गई है कि अभियुक्त इस मामले में दिनांक 24.07.2023 से कारागार में निरूद्ध है। म्यामार में रोहिंग्या जाति के लोगो का नरसंहार किये जाने व जबर विधि विरूद्ध तरीके से म्यामार से निकाले जाने के कारण प्रार्थी को UNHRC द्वारा UNHRC Refugee Card No.- 305-00076221 प्रदान किया गया है, जिसके स्पष्ट है कि प्रार्थी को जबरन उत्पीडन कर म्यांमार से निकाला गया है। विदेश अधिनियम की धारा–14 में पॉच वर्ष तक के दण्ड का प्राविधान है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त इस मामले में लगभग तीन वर्ष से कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधार

पर अभियुक्त की ओर से उसे इस मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी, आख्या एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रो का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध बिना किसी वैध प्रपत्र भारतीय सीमा में प्रवेश कर निवास करने के सम्बन्ध में थाना पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित थाना पुलिस को थाना क्षेत्र के कमेला कालोनी में अवैध रूप से रोहिंग्या परिवारो के निवास करने की प्राप्त सूचना के आधार पर गिरफतार किये जाने पर उनके द्वारा स्वॅय को रोहिंग्या तथ म्यामार का नागरिक होना स्वीकार किया जाना तथा उनके पास भारतीय सीमा में प्रवेश हेतु कोई वैध प्रपत्र न होना दर्शित है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त अधिकृत शरणार्थी है। उसके पक्ष में UNHRC द्वारा UNHRC Refugee Card No.-305-00076221 निर्गत किया गया है। उक्त सन्दर्भ में जमानत प्रार्थनापत्र के स्तर पर प्रस्तुत प्रपत्रो के अवलोकन से अभियोजन की ओर से आवेदक के उक्त UNHRC Refugee Card का सत्यापन कराये जाने पर आवेदक के पक्ष में UNHRC संस्था द्वारा UNHRC Refugee Card No.- 305-00076221 निर्गत किये जाने की पुष्टि होना भी परिलक्षित है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि धारा–14 में पॉच वर्ष तक के दण्ड का प्राविधान है तथा अभियुक्त धारा–436–ए द0प्र0सं0 के प्राविधान के अनुसार अभियुक्त उसके विरूद्ध आरोपित अपराध के लिए प्राविधानित दण्ड की कुल अवधि की आधे से अधिक अवधि तक कारावास में रहने के कारण प्रस्तुत मामले में धारा–436–ए द0प्र0सं0 के प्राविधानो का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि अभियुक्त के पक्ष में UN Refugee Agencies द्वारा UNHRC Refugee Card No.- 305-00076221 निर्गत किया गया है, जिसके आधार पर वह शराणार्थी के रूप में भारत में निवास कर रहा है। अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किये जाने पर उक्त आरोप पत्र विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी परिलक्षित है कि इस स्तर तक मामले में केवल अभियुक्त एवं सहअभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है परन्तु जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के स्तर तक मामले में किसी भी साक्षी का बयान अंकित होना दर्शित नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दिनांक 24.07.2023 से कारागार में निरूद्ध है। अवर न्यायालय की पत्रावली के अनुसार मामले के शीघ्र निस्तारित होने की सम्भावना परिलक्षित नहीं है। सहअभियुक्त अनवर सादिक का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.05.2026 को स्वीकार किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियुक्त की इस मामले में काफी लम्बे समय से कारागार में निरूद्धता के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को धारा–436ए द0प्र0सं0 के प्राविधान का लाभ प्रदान कर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **कैफितुल्ला उर्फ काबातुल्ला** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन चालीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वॅय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351बी0 एन0 एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. साक्षी के उपस्थित आने पर अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगे।
4. अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगे।
5. अभियुक्त प्रत्येक माह की 10 तारीख को सम्बन्धित थाना कार्यालय में उपस्थित होकर स्वॅय

की उपस्थिति दर्ज करायेगा।

6. अभियुक्त के पास यदि कोई पासपोर्ट है तो वह उसे अविलम्ब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जमा करायेगा।

7. अभियुक्त बिना विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत की सीमा से बाहर नहीं जायेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।
I.D.UP-1891

दिनांक 17.06.2026